पंजाब केसरी 03/02/2026

विद्यार्थियों ने बाल विवाह मुक्त भारत का लिया संकल्प

शपथ ग्रहण करते विद्यार्थी व अन्य। (चंद्रमोहन)

अम्बाला, 2 फरवरी (बलराम): जी.एम.एन. कॉलेज, अम्बाला कैंट की लीगल लिटरेसी सैल ने जिला लीगल सेवा प्राधिकरण अम्बाला के सहयोग से बाल विवाह मुक्त भारत विषय पर जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का आयोजन बाल विवाह निषेध अधिकारी, अजय शंकर तिवारी, पी.एल.वी. के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह से संबंधित कानून, दंडात्मक प्रावधान और इसके दूरगामी प्रभावों की जानकारी दी गई। संवादात्मक सत्र में विद्यार्थियों ने जिम्मेदार नागरिक के रूप में बाल विवाह रोकने में अपनी भूमिका समझी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प लिया।

डा. रोहित दत्त, प्राचार्य जी.एम.एन. कॉलेज ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने तक फैली है। उन्होंने लीगल लिटरेसी सैल और डी.एल.एस.ए., अम्बाला के प्रयासों की सराहना की।